प्रेस नोट दिनांक 04.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
लिफ्ट लेकर मोटर साइकिल पर बैठकर व्यक्ति के साथ छिनैती करने की घटना का सफल अनावरण/ अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
छिनैती 01 अदद बैग (नीले रंग का) जिसमें रखा 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद बैंक पासबुक व 2500 रुपये नगद बरामद
थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पकड़ी मोड़ के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-
दिनांक 02.08.2025 को थाना फतनपुर क्षेत्रातंर्गत सुवन्सा नहर पुलिया के पास वादी मुकदमा अपनी मोटरसाईकिल नं0 यूपी 72 एबी 5939 से सुवन्सा बाजार जा रहा था रास्ते में अज्ञात व्यक्ति ने हाथ देकर रुकवाया और कहा की मुझे सुवन्सा बाजार तक ले चलो। वादी मुकदमा अपनी मोटरसाईकिल पर पीछे बैठाकर सुवन्सा बाजार की तरफ जाने लगा तो जैसे सुवन्सा नहर की पुलिया पर पहुँचा तो गाडी रुकवाकर अज्ञात व्यक्ति कहने लगा कि मै पुलिस में हूँ हेलमेट, गाडी का पेपर व ड्राविन्ग लाइसेन्स पूछने लगा। जब आवेदक ने बताया कि मेरे पास नहीं है तो वह पाँच हजार रुपये का चालान की बात करने लगा और पैसा नहीं है तो वह बैग झपट्टा मार कर लेकर भाग गया। भाग जाने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनाँक 03/08/2025 को मु0अ0स0- 166/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा, का० शिवम यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 166/2025 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त 1- अंकित तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी पुत्र रंगनाथ तिवारी निवासी ग्राम महरछा पो० महरछा तहसील हंडिया थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पकड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद बैग (नीले रंग का) जिसमें रखा 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद बैंक पासबुक व 2500 रुपये नगद बरामद किया गया तथा तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अंकित तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी पुत्र रंगनाथ तिवारी निवासी ग्राम महरछा पो0 महरछा तह. हंडिया थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष बताया। और बताया कि मैं एम.आर.

का काम करता हूं दिनांक 02.08.2025 को वापस घर लौटते समय नहर पुलिया से एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से था उससे लिफ्ट लेकर उसके साथ आ रहा था। कि मेरे मन में आया कि उसका बैग लेकर भाग जाऊं तो मै खाली जगह देख करके उससे मोटरसाइकिल रुकवाया और उसका बैग झपट्टा मारकर छीनकर नहरी पटरी से भाग गया था। थोडी दूर जाने के बाद बैग खोलकर देखा तो उस बैंग में एक आधार कार्ड और एक पासबुक व 5000 रुपये था। जब मुझे पता चला कि उसने मुकदमा लिखवा दिया है तो मै पकडे जाने के डर से बैग को उसी स्थान पर ले जाकर फेकने वाला था लेकिन आगे चेकिंग चल रही थी इसलिये डर के कारण यहां आकर खड़ा हो गया था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। तत्पश्चात् पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास नीले रंग के बैग से 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद बैंक पासबुक बैंक आफ बड़ौदा व कुल रुपया 2500 बरामद हुआ। बरामद रुपये के संबंध में पूछने पर बता रहा है कि साहब ये वही रुपये है जो मेरे द्वारा छिने गये बैग मे थे। आधार कार्ड व बैंक पासबुक के संबंध में पूछने पर बता रहा है यह वही आधार कार्ड, बैंक पासबुक है जो बैग में थे। बाकी 2500 रुपये के संबंध में पूछने पर बता रहा है कि सर जिस दिन बैग छीना था उसी दिन पार्टी में 2500 रुपया खर्च हो गया था मात्र यही 2500 रुपये बचे है।

<u>बरामदगी-</u>

01 अदद बैग (नीले रंग का) जिसमें रखा 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद बैंक पासबुक व 2500 रुपये नगद बरामद

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1- अंकित तिवारी उर्फ दिलीप तिवारी पुत्र रंगनाथ तिवारी निवासी ग्राम महरछा पो० महरछा तहसील हंडिया थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष

<u>गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-</u>

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा, का० शिवम यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>थाना- संग्रामगढ़, जनपद- प्रतापगढ़</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
बिजली के खम्भे में बांधकर मारपीट/झगड़ा करने के अभियोग से संबंधित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-
थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया पुरवा से गिरफ्तार किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 02.08.2025 थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया पुरवा कोटा भवानीगंज में वादी व वादी के साथी के साथ मार-पीट की गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 142/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 शिव शरण मय हमराह उ0नि0 गुरदीप सिंह, म0का0 पूजा यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक

कार्यवाही/दबिश के दौरान थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 142/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्तों थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया पुरवा से गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

01. धर्मेन्द्र पटेल पुत्र रामनरेश पटेल निवासी ग्राम बिन्दा दुबे का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
02. कुट्टे लाल पुत्र बचई पटेल निवासी ग्राम बिन्दा दुबे का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
03. दिनेश कुमार पुत्र नन्हे लाल निवासी ग्राम बिन्दा दुबे का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
04. रंगी लाल उर्फ किशन पटेल पुत्र अशोक कुमार पटेल निवासी ग्राम बिन्दा दुबे का पुरवा थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
05. लवकुश पटेल पुत्र छेदी पटेल निवासी ग्राम भीखपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

<u>पुलिस टीम-</u>

उ0नि0 शिव शरण मय हमराह उ0नि0 गुरदीप सिंह, म0का0 पूजा यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

<u>बयान:-</u>

"थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नया पुरवा कोटा भवानीगंज में बिजली के खम्भे में बांधकर मारपीट की घटना को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की गई। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आमजन से अपील है कि किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।" कानून अपने हाथ में न लें, इस प्रकार कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

<u>थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़</u>

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन-
थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-
थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत करेंटी मोड़ के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

<u>घटना का संक्षिप्त का विवरण-</u>

दिनांक 30.07.2025 को ग्राम करेंटी थाना मानिकपुर में वादी के लड़के को आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला किया गया। जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 149/25 धारा 115(2),352,351(3),324(2),109,3(5) बी0एन0एस0 व 3 (1) द, 3 (1) ध, 3 (2) 5A, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में वरिष्ठ उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 देवीदीन बुन्देला, का0 रामलखन यादव, का0 रामचरन प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 149/25 धारा 115(2),352,351(3),324(2),109,3(5) बी0एन0एस0 व 3 (1) द, 3 (1) ध, 3 (2) 5A, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में वांछित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत करेंटी मोड़ के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

01- बाल अपचारी।

<u>पुलिस टीमः-</u>

व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 देवीदीन बुन्देला, का0 रामलखन यादव, का0 रामचरन प्रजापति थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।